रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012024-251547
CG-DL-E-21012024-251547

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, रविवार, जनवरी 21, 2024/माघ 1, 1945
No. 43] NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 21, 2024/MAGHA 1, 1945

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 21 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 49(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 के, उप-नियम (1) में,–

(क) खंड (क) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘(कक) "नीलामी प्रीमियम" से नियम 13 के उप-नियम (2) के अधीन पट्टाधारक द्वारा देय रकम अभिप्रेत है—;’;

(ख) खंड (घ) में, "नियम 9 के उप-नियम (4) के खंड (ख) के उप-खंड (iii)" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "नियम 9 के उप-नियम (9) के खंड (iii) या नियम 19ड. के उप-नियम (10) के खंड (iii)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ड.) में, "नियम 9 के उप-नियम (4) के खंड (क) के उप-खंड (iv)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "नियम 9 का उप-नियम (8) या नियम 19ड. का उप-नियम (9)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) खंड (i) में, "नियम 18 के उपनियम (2)" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "नियम 19छ के उप-नियम (3)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ड.) खंड (ञ) में, "नियम 9 के उप-नियम (4) के खंड (क) के उप-खंड (ii)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों के स्थान पर, "नियम 9 के उप-नियम (6) या नियम 19ड. के उपनियम (7)" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के, नियम 4 में, उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3) अधिनियम की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी खनिज के संबंध में किसी क्षेत्र में धारा 10ख के अधीन गवेषण अनुज्ञप्ति अध्याय III- क के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में दी जाएगी।"

4. उक्त नियमों के, नियम 6 में, उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:—

“(6) कोई बोली लगाने वाला किसी खनिज ब्लॉक की नीलामी में केवल एक बोली लगाएगा और बोली लगाने वाले का कोई भी सहयोगी उसी नीलामी में बोली नहीं लगाएगा जहां ऐसे बोली लगाने वाले ने बोली लगायी है।

(7) यदि कोई बोली लगाने वाला किसी खनिज ब्लॉक की नीलामी में एक से अधिक बोली लगाता है या बोली लगाने वाले का कोई सहयोगी उसी नीलामी में बोली लगाता है, जहां ऐसे बोली लगाने वाले ने बोली लगायी है, वहां बोली लगाने वाला और उसके सहयोगी द्वारा लगायी गई बोलियां खारिज कर दी जाएंगी।

स्पष्टीकरण. – इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(i) बोली लगाने वाले के संबंध में "सहयोगी " का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति होगा जो, (क) ऐसे बोली लगाने वाले को नियंत्रित करता है, (ख) ऐसे बोली दाता द्वारा नियंत्रित होता है, (ग) ऐसे बोली लगाने वाले के साथ सामान्य नियंत्रण में है, (घ) बोली लगाने वाले की एक सहयोगी कंपनी, या (ड.) ऐसे बोली लगाने वाले की सहायक कंपनी है।

(ii) "सहयोगी कंपनी", "नियंत्रण" और "सहायक कंपनी" पदों का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में उनका है।''।

5. उक्त नियमों के, नियम 9 के, उप-नियम (12) में, दूसरे परंतुक में, शब्द "तीन से कम रहने के मामले में" के पश्चात्, "और एकल तकनीकी रूप से अहर्क बोली लगाने वाले के मामले में भी" शब्द अंत:स्थापित किये जायेंगे।

6. उक्त नियमों के, नियम 11 के, उप-नियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् जारी निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसरण में चयनित अधिमानित बोली लगाने वाले के लिए, अग्रिम भुगतान की रकम पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।"

7. उक्त नियमों के, नियम 12 के, उप-नियम (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु कि खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् जारी निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसरण में चयनित अधिमानित बोली लगाने वाले के लिए, निष्पादन प्रतिभूति की रकम पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।"

8. उक्त नियमों के, नियम 19 में,-

(i) उप-नियम (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् जारी निविदा आमंत्रणसूचना के अनुसरण चयनित अधिमानित बोली लगाने वाले के लिए, निष्पादन प्रतिभूति की रकम दो सौ पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।"

(ii) उप-नियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2024 के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् जारी निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसरण में चयनित निश्चित अनुज्ञप्ति धारक के लिए, उप-नियम (2) और उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट निष्पादन प्रतिभूति की रकम पाँच सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।"

9. उक्त नियमों के, नियम 19 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:–

"अध्याय III-क

गवेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करना

19क. गवेषण अनुज्ञप्ति की नीलामी के लिए आवश्यक शर्तें.— (1) राज्य सरकार अधिनियम के उपबंधों और इस अध्याय के अनुसार, अधिनियम की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में ,राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के संबंध में गवेषण अनुज्ञप्ति देने के लिए नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर सकेगी।

(2) किसी क्षेत्र के संबंध में गवेषण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति गवेषण अनुज्ञप्ति देने के लिए नीलामी हेतु क्षेत्र की अधिसूचना के लिए उपलब्ध भूविज्ञान डेटा के साथ अनुसूची V में विनिर्दिष्ट प्रारूप में राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित किसी क्षेत्र सहित गवेषण अनुज्ञप्ति देने के लिए नीलामी हेतु ब्लॉक की पहचान करने के लिए, राज्य सरकार निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी समिति का गठन करेगी, अर्थात्:—

(क) राज्य सरकार के खनन और भूविज्ञान विभाग में प्रधान सचिव या सचिव (जो भी नाम हो)- अध्यक्ष;

(ख)उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की राज्य इकाई - सदस्य;

(ग) भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय खान नियंत्रक - सदस्य;

(घ) गवेषण और अनुसंधान परमाणु खनिज निदेशालय के क्षेत्रीय निदेशक - सदस्य;

(ड.) राज्य सरकार के खनन एवं भूविज्ञान विभाग के निदेशक (जो भी नाम हो)- सदस्य सचिव।

(4) समिति निम्नलिखित में से गवेषण अनुज्ञप्ति देने के लिए नीलामी के लिए ब्लॉकों की पहचान करेगी और राज्य सरकार को उनकी सिफारिश करेगी-

(i) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या राज्य सरकार के खनन और भूविज्ञान निदेशालय (जोभी नाम हो) या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य अभिकरण द्वारा चिह्नित क्षेत्र;

(ii) उपनियम (2) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र; या

(iii) कोई अन्य क्षेत्र,

राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा कोष (एनजीडीआर) या समान प्लेटफार्मों में उपलब्ध भूवैज्ञानिक सूचना के आधार पर या उपलब्ध भूवैज्ञानिक रिपोर्ट या उसके समान के आधार पर।

(5) समिति उप-नियम (2) के अधीन प्राप्त प्रस्ताव को राज्य सरकार में इसकी प्राप्ति के साठ दिनों की अवधि के भीतर ऐसे उपांतरण के साथ अस्वीकार या सिफारिश करेगी जो वह ठीक समझे।

(6) समिति ब्लॉक की पहचान और सिफारिश करते समय निम्नलिखित के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को ब्लॉक से बाहर कर देगी, अर्थात्:-

(i) मौजूदा खनिज रियायत;

(ii) खनिज रियायत की नीलामी के लिए निविदा आमंत्रण सूचना जो जारी की गई है और प्रक्रियाधीन है;

(iii) नीलामी प्रक्रिया के अनुसरण में खनिज रियायत देने के लिए जारी मौजूदा आशय पत्र,या परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 के नियम 6 के अधीन भावी पट्टेदार के संबंध में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी सूचना पत्र;

(iv) प्रदत्त खनन पट्टा या समेकित अनुज्ञप्ति जो समाप्त, व्यपगत, अभ्यर्पित या पर्यवसित किया गया है या किसी खनिज रियायत की नीलामी के लिए निविदा आमंत्रण सूचना जिसे पर्यवसित कर दिया गया है;

(v) धारा 4 के दूसरे परंतुक के अधीन विनिर्दिष्ट या अधिसूचित किसी इकाई द्वारा गवेषण प्रचालन; या

(vi) धारा 17 के अधीन जारी कोई प्रचालन करने के लिए अधिसूचना या धारा 17क के अधीन जारी आरक्षण अधिसूचना:

परंतु यदि समिति की राय है कि खनिज संसाधनों के संरक्षण के हित में या अधिनियम की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के वैज्ञानिक और सतत विकास और दोहन करना समीचीन है, तो इसमें गवेषण अनुज्ञप्ति देने के लिए सिफारिश किए गए ब्लॉक में खंड (iv) के अधीन आने वाले क्षेत्र को शामिल किया जा सकेगा।

(7) राज्य सरकार समिति की सिफारिश प्राप्त होने के साठ दिनोंके भीतर इसे ऐसे उपांतरण के साथ अस्वीकार या स्वीकार कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे और धारा 10खक की उप-धारा (4) के अधीन नीलामी के लिए केंद्रीय सरकार के पिछले अनुमोदन के लिए चिह्नित ब्लॉक का ब्योरा भेज सकेगी।

(8) केंद्रीय सरकार पिछला अनुमोदन प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर अनुदत्त करेगी या अस्वीकार कर देगी और उसके पश्चात् राज्य सरकार पिछला अनुमोदन प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर गवेषण अनुज्ञप्ति देने के लिए नीलामी करने के लिए चिह्नित ब्लॉक को अधिसूचित करेगी।

(9) राज्य सरकार, नीलामी के संबंध में निविदा आमंत्रण सूचना जारी करने से पहले, उस क्षेत्र के सीमा अक्षांश और देशांतर निर्देशांक को विनिर्दिष्ट करते हुए इसकी पहचान और सीमांकन करेगी, जहां नीलामी के माध्यम से एक गवेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

19ख. गवेषण अनुज्ञप्ति के लिए पात्रता.- (1) गवेषण अनुज्ञप्ति की नीलामी में भाग लेने के उद्देश्य से, आवेदक धारा 5 में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट पात्रता के निबंधनों और शर्तों को पूरा करेगा।

(2) नीलामी में भाग लेने की पात्रता, नीलामी में भाग लेने की पात्रता के निबंधनों और शर्तों के अनुसार निर्धारित की जाएगी और सफल बोली लगाने वाले का निर्णय केवल पात्र बोली लगाने वालों द्वारा लगायी गयी वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जाएगा।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी खनिज ब्लॉक की नीलामी में केवल एक बोली लगायेगा और बोली लगाने वाले का कोई सहयोगी उसी नीलामी में बोली नहीं लगाएगा है जहां ऐसे बोली लगाने वाले ने बोली लगायी है;

(4) यदि कोई बोली लगाने वाला किसी खनिज ब्लॉक की नीलामी में एक से अधिक बोली लगाता है या बोली लगाने वाले का कोई सहयोगी उसी नीलामी में बोली लगाता है, जहां ऐसे बोली लगाने वाले ने बोली लगायी है, तो बोली लगाने वाला और उसके सहयोगी द्वारा लगायी गयी बोलियां रद्द्कर दी जाएंगी।

स्पष्टीकरण. –इस नियम के प्रयोजनों के लिए,—

(i) बोली लगाने वाले के संबंध में "सहयोगी " का अर्थ ऐसा व्यक्ति होगा जो, (क) ऐसे बोली लगाने वाले को नियंत्रित करता है, (ख) ऐसे बोली लगाने वाले द्वारा नियंत्रित होता है, (ग) ऐसे बोली लगाने वाले ता के साथ सामान्य नियंत्रण में है, (घ) बोली लगाने वाले की एक सहयोगी कंपनी, या (ड.) ऐसे बोली लगाने वाले की सहायक कंपनी है।

(ii) "सहयोगी कंपनी", "नियंत्रण" और "सहायक कंपनी" पदों का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में उनका है।

19ग. गवेषण अनुज्ञप्ति के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी.— (1) नीलामी केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच के माध्यम से की जाएगी।

(2) राज्य सरकार किसी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच का उपयोग कर सकेगी जो मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई-उपायन प्रणाली की गुणवत्ता अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए दिशानिर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी और सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करता है।

19घ. गवेषण अनुज्ञप्ति के लिए बोली प्राचल.—(1) राज्य सरकार निविदा दस्तावेज़ में नीलामी प्रीमियम का अधिकतम प्रतिशत हिस्सा (जिसे "अधिकतम सीमा मूल्य" के रूप में जाना जाता है) विनिर्दिष्ट करेगी जो खनन पट्टे के भावी पट्टेदार द्वारा देय होगा जिसकी नीलाम की जा रही गवेषण अनुज्ञप्ति के अधीन किए गए पूर्वेक्षण प्रचालनों के अनुसरण में नीलामी की जाएगी।

परंतु अधिकतम कीमत पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(2) बोली लगाने वाला राज्य सरकार से भुगतान प्राप्त करने के प्रयोजन से, ऐसे भावी पट्टेदार द्वारा देय नीलामी प्रीमियम का प्रतिशत हिस्सा, अधिकतम कीमत के बराबर या उससे कम उद्धृत करेंगे और नियम 19ङ में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत उद्धृत करने वाला बोली दाता अधिमानित बोली लगाने वाला होगा।

19ङ. गवेषण अनुज्ञप्ति के लिए बोली प्रक्रिया.—(1) नियम 19क के उपबंधों के अधीन, राज्य सरकार नीलामी प्रक्रिया आरंभ करने के लिए, अपनी वेबसाइट पर सहित निविदा आमंत्रण सूचना जारी करेगी और ऐसी सूचना में नीलामी के अधीन क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त विवरण होंगे, जिनमें निम्नलिखित होंगे,—

(क) चिह्नित और सीमांकित क्षेत्र के सीमा अक्षांश और देशांतर निर्देशांक विनिर्दिष्ट करते हुए, इसका विवरण; और

(ख) उपलब्ध भूविज्ञान डेटा।

(2) राज्य सरकार द्वारा जारी निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित अंतरविष्ट होगा, -

(क) चिह्नित और सीमांकित क्षेत्र के सीमा अक्षांश और देशांतर निर्देशांक विनिर्दिष्ट करते हुए, इसका विवरण; और

(ख) उपलब्ध भूविज्ञान डेटा संबंधीसूचना।

(3) बोली लगाने वालों को निविदा दस्तावेज और ऐसी रिपोर्टों का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित निश्चित अवधि प्रदान की जाएगी और बोली प्रक्रिया ऐसी अवधि की समाप्ति पर ही आरंभ होगी।

(4) नीलामी एक अवरोही प्रतिलोभ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी होगी और इसमें नीलामी के प्रत्येक प्रयास के साथ नीलामी का पहला दौर और नीलामी का दूसरा दौर शामिल होगा।

(5) नीलामी के पहले दौर में, बोली लगाने वाले निम्नलिखित प्रस्तुत करेंगे,–

(क) तकनीकी बोली में दूसरों के बीच, नीलामी में भाग लेने के लिए अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार पात्रता की पुष्टि करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य, बोली प्रतिभूति और ऐसे अन्य दस्तावेज और भुगतान शामिल हैं जैसाकि निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किया जाए; और

(ख) प्रारंभिक मूल्य प्रस्ताव जो नीलामी प्रीमियम का एक प्रतिशत हिस्सा होगा जो भावी पट्टेदार द्वारा देय होगा जिसका खनन पट्टा नीलाम की जा रही गवेषण अनुज्ञप्ति के अधीन किए गए पूर्वेक्षण प्रचालनों के अनुसार नीलाम किया जाएगा।

6) बोली प्रतिभूति बैंक गारंटी के रूप में या प्रतिभूति जमा के माध्यम से जमा की जाएगी और निम्नलिखित बराबर रकम होगी:—

(क) पांच सौ वर्ग किलोमीटर से कम या उसके बराबर क्षेत्र के लिए पचास लाख रुपये; और

(ख) पांच सौ वर्ग किलोमीटर से अधिक लेकिन एक हजार वर्ग किलोमीटर से कम या उसके बराबर क्षेत्र के लिए एक करोड़ रुपये।

(7) केवल वे बोली लगाने वाले जो नियम 19ख में विनिर्दिष्ट पात्रता के निबंधनों और शर्तों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और जिनके प्रारंभिक कीमत प्रस्ताव अधिकतम मूल्य के बराबर या उससे कम है, उन्हें "तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाले" कहा जाएगा औरउन पर नीलामी के दूसरे दौर के लिए विचार किया जाएगा।

(8) तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों के बीच सबसे कम प्रारंभिक कीमत प्रस्ताव ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के दूसरे दौर के लिए सीमित कीमत होगी।

(9) तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को उनके द्वारा प्रस्तुत आरोही प्रारंभिक कीमत प्रस्ताव के आधार पर रैंक दिया जाएगा और पहले पचास प्रतिशत रैंक धारण करने वाले तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों (किसी भी अंश को उच्च पूर्णांक तक पूर्णांकित करके) या शीर्ष पांच तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाले, जो भी अधिक हो, इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के दूसरे दौर में भाग लेने के लिए योग्य बोली लगाने वालों के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे:

परंतु यदि तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों की संख्या तीन से पांच के बीच है, तो सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को योग्य बोली लगाने वालों के रूप में माना जाएगा:

यह और कि दो या दो से अधिक तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों द्वारा समान प्रारंभिक कीमत प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में, ऐसे सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को योग्य बोली लगाने वालों के निर्धारण के प्रयोजनों सेएक ही रैंक दी जाएगी और ऐसे मामले में, उपर्युक्त पचास प्रतिशत, पहले पचास प्रतिशत के भीतर होने वाली बराबरी (टाई) की सीमा तक बढ़ा हुआ माना जाएगा।

उदाहरण

1. यदि कुल दस तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाले हैं, और प्रत्येक तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाला अलग-अलग प्रारंभिक कीमत प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो पहले पचास प्रतिशत रैंक वाले तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को योग्य बोली लगाने वाला माना जाएगा।

2. यदि ऐसे तीन तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाला समान प्रारंभिक कीमत प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और कुल रैंक की संख्या के पहले पचास प्रतिशत में रैंक पाते हैं, तो सभी तीन तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को योग्य बोली लगाने वाला माना जाएगा और योग्य बोली लगाने वालों की कुल संख्या दो तक बढ़ी हुई होगी।

(10) जहां तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों की कुल संख्या तीन या इससे अधिक है, नीलामी प्रक्रिया नीलामी के दूसरे दौर तक चलेगी जो निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात्:–

(i) योग्य बोली लगाने वाले अपने अंतिम मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे जो नीलामी प्रीमियम का एक प्रतिशत हिस्सा होगा जो भावी पट्टेदार द्वारा देय होगा जिसका खनन पट्टा नीलाम की जा रही गवेषण अनुज्ञप्ति के अधीन किए गए पूर्वेक्षण प्रचालनों के अनुसार नीलाम किया जाएगा और दूसरे दौर की मूल्य सीमा से कम होगा:

परंतु अंतिम कीमत प्रस्ताव को नीलामी मंच के तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार नीलामी के समापन तक योग्य बोली लगाने वालों द्वारा पुनरिक्सित किया जा सकेगा;

(ii) यदि कोई योग्य बोली लगाने वाला ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच पर अंतिम कीमत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता है तो नीलामी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी;

(iii) सबसे कम अंतिम कीमत प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले योग्य बोली लगाने वाले को नीलामी के समापन पर तुरंत "अधिमानित बोली लगाने वाला" घोषित किया जाएगा।

(11) जहां तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों की कुल संख्या तीन से कम है, तो किसी भी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाले को योग्य बोली लगाने वाला नहीं माना जाएगा और नीलामी का पहला प्रयास रद्द कर दिया जाएगा।

(12) नीलामी के पहले प्रयास को रद्द करने पर, राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए निर्णय ले सकेगी-

(क) पृथक निबंधनों और शर्तों तथा अधिकतम कीमत के सेट के साथ नीलामी प्रक्रिया नए सिरे से आरंभ करने, जैसा वह ठीक और आवश्यक समझे; या

(ख) नीलामी का दूसरा प्रयास करने।

(13) यदि राज्य सरकार उप-नियम (12) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट नीलामी का दूसरा प्रयास करने का निर्णय लेती है, तो नीलामी के दूसरे प्रयास के निबंधन और शर्तें नीलामी के पहले रद्द प्रयास के समान ही रहेंगी:

परंतु तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों की सबसे कम प्रारंभिक कीमत प्रस्ताव, यदि पहले रद्द किए गए प्रयास में कोई हो, तो दूसरे प्रयास के पहले दौर में अधिकतम कीमत होगी:

परंतु यह और कि यदितकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों की संख्या तीन से कम है, और एकल तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वाले के मामले में भी बोली दूसरे दौर तक जारी रहेगी।

19च. केंद्रीय सरकार द्वारा गवेषण अनुज्ञप्ति की नीलामी करना.—(1) राज्य सरकार निम्नलिखित के संबंध में केंद्रीय सरकार को सुचित करेगी, अर्थात्:-

(क) उसकी प्राप्ति के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर नियम 19क के अधीन समिति द्वारा गवेषण अनुज्ञप्ति की नीलामी के लिए किसी क्षेत्र की पहचान और सिफारिश करना;

(ख) ऐसे निर्णय के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर नियम 19क के अधीन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार का निर्णय;

(ग) ऐसी सूचना के प्रकाशन के पंद्रह दिनों के भीतर, इसकी प्रति के साथ धारा 10खक की उप-धारा (4) के अधीन सूचना का प्रकाशन;

(घ) ऐसी सूचना के जारी होने के पंद्रह दिनों के भीतर, उसकी प्रति के साथ नियम 19ड. के अधीन खनन पट्टे की नीलामी के लिए निविदा आमंत्रण सूचना जारी करना,;

(ड.) नीलामी पूरी होने के पंद्रह दिनों के भीतर, गवेषण अनुज्ञप्ति के लिए किसी नीलामी का परिणाम; और

(च) ऐसे पर्यावसान, व्यपगत होने या अभ्यर्पण करने से पंद्रह दिनों के भीतर गवेषण अनुज्ञप्ति का पर्यावसान करने, व्यपगत होने या अभ्यर्पण करने अथवा गवेषण अनुज्ञप्ति के आशय पत्र का पर्यावसान करना या व्यपगत होना।

(2) यदि केंद्रीय सरकार धारा 10खक की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अधीन यथास्थिति किसी क्षेत्र को नीलामी के लिए अधिसूचित करने या गवेषण अनुज्ञप्ति के लिए नीलामी करने का निर्णय लेती है, तो गवेषण अनुज्ञप्ति की नीलामी के संबंध में, इन नियमों के उपबंध जो राज्य सरकार पर लागू हैं, यथाआवश्यक परिवर्तनों के साथ, केंद्रीय सरकार पर भी लागू होंगे।

(3) नीलामी के सफल समापन पर, केंद्रीय सरकार नीलामी में अधिमानित बोली लगाने वाले के ब्योरे से राज्य सरकार को सूचित करायेगी और राज्य सरकार ऐसे अधिमानित बोली लगाने वाले को नियम 19छ के अनुसार ऐसे क्षेत्र के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करेगी।

19छ. गवेषण अनुज्ञप्ति देना.— (1) अधिमानित बोली लगाने वाला अधिमानित बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात पंद्रह दिनों के भीतर नियम 19ज के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में एक निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा, और ऐसी निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर, राज्य सरकार निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर अधिमानित बोली लगाने वाले को आशय पत्र जारी करेगी:

परंतु राज्य सरकार, लेखबद्ध कारणों से, निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने की पंद्रह दिनों की अवधि को और पंद्रह दिनों तक बढ़ा सकेगी।

(2) यदि अधिमानित बोली लगाने वाला उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो राज्य सरकार,—

(क) अधिमानित बोली लगाने वाले की बोली प्रतिभूति जब्त कर लेगी; और

(ख) उस बोली लगाने वाले, जिसने न्यूनतम अंतिम कीमत प्रस्ताव पूरा करने के लिए नीलामी के दूसरे दौर में दूसरे न्यूनतम कीमत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, को प्रस्ताव देगी और यदि उक्त बोली लगाने वाला लिखित में उक्त प्रस्ताव से सहमत है और प्रस्ताव प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करता है तो राज्य सरकार उक्त बोली लगाने वाले को अधिमानित बोली लगाने वाले के रूप में घोषित करेगी और उसे आशय पत्र जारी करेगी:

परंतु राज्य सरकार, लेखबद्ध कारणों से, पंद्रह दिनों की अवधि को और पंद्रह दिनों तक बढ़ा सकेगी।

(3) आशय पत्र प्राप्त होने पर, अधिमानित बोली लगाने वाले द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर सफल बोली लगाने वाला माना जाएगा, अर्थात्:—

(क) पात्रता के सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन;

(ख) टोही या पूर्वेक्षण प्रचालनों या दोनों को आरंभ करने के लिए लागू विधियों के अधीन यथा अपेक्षित सभी सहमतियां, अनुमोदन, परमिट, अनापत्तियांआदि प्राप्त करना; और

(ग) खनिज संरक्षण और विकास नियम 2017 के अनुसार टोही या पूर्वेक्षण या दोनों की स्कीम प्रस्तुत करना।

(4) उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर, राज्य सरकार सफल बोली लगाने वाले को गवेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करेगी और ऐसे गवेषण अनुज्ञप्ति अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन होंगे।

परंतु आशय पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, कोई गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित नहीं किया जाएगा और आशय पत्र अमान्य कर दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप नीलामी की पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाएगी:

परंतु यह और कि राज्य सरकार गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादन के लिए छह महीने की अतिरिक्त अवधि की अनुमति दे सकती है, यदि देरी के कारण अधिमानित बोलीदाता के नियंत्रण से परे हैं।

(5) गवेषण अनुज्ञप्तिधारी गवेषण अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र का भूवैज्ञानिक गवेषण (टोही या पूर्वेक्षण प्रचालन या दोनों) करेगा ताकि खनिज अंतर्वस्तु के साक्ष्य का पता लगाया जा सके तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा एवं इसकी प्रति भारतीय खान ब्यूरो को देते हुए गवेषण अनुज्ञप्ति के अधीन क्षेत्र के भूवैज्ञानिक गवेषण से संबंधित सभी रिपोर्ट, अध्ययन और अन्य दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(6) गवेषण अनुज्ञप्ति की अवधि धारा 10ख की उपधारा (10) के अनुसार होगी।

(7) गवेषण अनुज्ञप्तिधारक, किसी भी समय, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 9ख में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, राज्य सरकार को एक हिस्सा या पूरा क्षेत्र सौंप सकता है:

परंतु गवेषण अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख से तीन वर्षों के पश्चात, गवेषण अनुज्ञप्तिधारक टोही या पूर्वेक्षण कार्यों को जारी रखने के प्रयोजन से उस अनुज्ञप्ति के अंतर्गत कवर किए गए कुल क्षेत्र के पच्चीस प्रतिशत से अनअधिक क्षेत्र अपने पास रख सकता है और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात उसके द्वारा रोक रखने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के प्रतिधारण के कारणों और उस क्षेत्र की सीमाओं को बताते हुए शेष क्षेत्र को अभ्यर्पित कर देगा।

(8) यदि गवेषण अनुज्ञप्तिधारक,—

(क) धारा 10ख की उप-धारा (10) के अधीन अनुमत अवधि के भीतर टोही और पूर्वेक्षण कार्यों को पूरा करने में विफल रहता है; या खनन पट्टा अनुदान हेतु खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के नियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट खनिज अंतर्वस्तु होने को सिद्ध करने और धारा 10ख क की उप-धारा (12) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो ऐसा अनुज्ञप्तिधारक अपने गवेषण अनुज्ञप्ति कवर किये गये क्षेत्र में दिए गए खनन पट्टे की नीलामी प्रीमियम में से कोई हिस्सा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा और राज्य सरकार, राज्य सरकार निष्पादन प्रतिभूति के विनियोजन के रूप में जुर्माना लगाने सहित कोई भी कार्रवाई जैसा वह उचित समझती है, कर सकती है;

(ख) धारा 10ख की उप-धारा (10) के अधीन अनुमत अवधि के भीतर टोही और पूर्वेक्षण कार्यों को पूरा करता है और खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के नियम 5 के अनुसार तैयार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के रूप में पूर्वेक्षण कार्यों का परिणाम राज्य सरकार और भारतीय खान ब्यूरो को प्रस्तुत करता है; धारा 10ख की उप-धारा (12) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर खनन पट्टा देने के लिए उपयुक्त क्षेत्र की पहचान कर ऐसा अनुज्ञप्ति धारक इन नियमों के अनुसार खनन पट्टे के नीलामी प्रीमियम में प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करने का पात्र होगा।

(9) गवेषण अनुज्ञप्तिधारक उप-नियम (8) के अधीन खनन पट्टा देने के लिए पहचाने गए प्रत्येक ब्लॉक के लिए अलग भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करेगा।

IndiaCode

19ज. **गवेषण अनुज्ञप्ति हेतु निष्पादन प्रतिभूति.—** (1) निष्पादन प्रतिभूति की रकम इस प्रकार होगी, अर्थात् :—

(क) पांच सौ वर्गकिलोमीटर से कम या उसके बराबर क्षेत्र के लिए एक करोड़ रुपये; और

(ख) पांच सौ वर्ग किलोमीटर से अधिक लेकिन एक हजार वर्ग किलोमीटर से कम या उसके बराबर क्षेत्र के लिए दो करोड़ रुपये।

(2) निष्पादन प्रतिभूति अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट प्रारूप में बैंक गारंटी के माध्यम से या प्रतिभूति जमा के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिसे निम्नलिखित कार्यों में विनियोजित किया जा सकता है, अर्थात्:

(क) टोही या पूर्वेक्षण, जैसा भी स्थिति हो, की योजना का अनुपालनन करना;

(ख) किसी अनधिकृत इकाई को गवेषण डेटा का प्रकटीकरण;

(ग) विधि के अधीन ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार या प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी संगठन को संपूर्ण गवेषण डेटा, रिपोर्ट या गवेषण से संबंधित किसी अन्य सूचना को प्रकट नहीं करना;

(घ) विधि के अधीन ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार या प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी संगठन को गवेषण डेटा, रिपोर्टों या गवेषण से संबंधित किसी अन्य सूचना में गंभीर विसंगति; या

(ङ) इन नियमों के परंतुक और गवेषण अनुज्ञप्ति विलेख का उल्लंघन ।

(3) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों में विनियोजित किये जाने के लिए निष्पादन प्रतिभूति का प्रतिशत निविदा दस्तावेज़ में विनिर्दिष्ट किया जाएगा या राज्य सरकार द्वारा जैसा उचित समझे, निश्चित किया जाएगा।

(4) निष्पादन प्रतिभूति के विनियोजन के मामले में, गवेषण अनुज्ञप्तिधारक उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रकम पर निष्पादन प्रतिभूति की रकम को बनाए रखने के लिए ऐसे विनियोजन के तीस दिनों के भीतर निष्पादन प्रतिभूति की भरपाई या टॉप-अप करेगा।

(5) राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि गवेषण अनुज्ञप्तिधारक ने पूर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के अनुसार हर संभव प्रयास करने के पश्चात भी खनिज सामग्री होने को सिद्ध करने में असमर्थ है, निष्पादन प्रतिभूति लौटाएगी।

19झ. **गवेषण अनुज्ञप्तिधारक को भुगतान.—** (1) राज्य सरकार उस भावी पट्टेदार जिसने नीलामी प्रीमियम को जमा करने के तीस दिनों के भीतर गवेषण अनुज्ञप्ति द्वारा किए गये पूर्वेक्षण कार्यों के अनुसार नीलामी में खनन पट्टा प्राप्त किया है, द्वारा एक माह में जमा की गई नीलामी प्रीमियम में से गवेषण अनुज्ञप्ति की नीलामी में उनके द्वारा उद्धृत प्रतिशत हिस्सा गवेषण अनुज्ञप्तिधारी को इलेक्ट्रॉनिक्स अंतरण द्वारा चुकायेगी।

(2) गवेषण अनुज्ञप्तिधारक का हिस्सा खनन पट्टे के पचास वर्षों की पूरी अवधि के लिए या संसाधनों के समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, देय होगा।

(3) खनन पट्टा समाप्त करने, बीत जाने या अभ्यर्पण के मामले में, गवेषण अनुज्ञप्तिधारक का हिस्सा क्षेत्र के पहला पट्टे का शुरू होने की तारीख से पचास वर्षों की शेष अवधि या संसाधन समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए क्षेत्र के परवर्ती पट्टेदार द्वारा जमा की गई नीलामी प्रीमियम में से देय होगा।

(4) गवेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा उद्धृत प्रतिशत हिस्सा अधिनियम की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक खनिज के लिए लागू होगा, जिनकी खनिज सामग्री की विद्यमानता खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के अधीन खनन पट्टा देने के लिए आवश्यक गवेषण मानदंडों के अनुसार उसके द्वारा सिद्ध की गई है।।

(5) गवेषण अनुज्ञप्तिधारक का हिस्सा गवेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा किए गए पूर्वेक्षण कार्यों के अनुसार नीलाम अधिनियम की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के सभी खनन पट्टों की नीलामी प्रीमियम से देय होगा।

(6) गवेषण अनुज्ञप्तिधारक अधिनियम की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए खनिजों या जिनकी खनिज सामग्री की विद्यमानता खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के खनन पट्टा देने के लिए आवश्यक गवेषण मानदंडों के अनुसार उनके द्वारा सिद्ध नहीं की गई है, के संबंध में हिस्सा प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

(7) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, गवेषण अनुज्ञप्तिधारक और पट्टेदार किसी अन्य तरीके जैसे नीलामी प्रीमियम में प्रतिशत हिस्सेदारी के बदले में एक मुश्त भुगतान; गवेषण अनुज्ञप्तिधारक को शेयर के भुगतान के संबंध में करार कर सकते हैं, और ऐसे करार पर,—

(क) गवेषण अनुज्ञप्तिधारक और पट्टेदार ऐसे करार की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे; और

(ख) करार के प्रभावी होने के पश्चात, पट्टेदार द्वारा राज्य सरकार को देय नीलामी प्रीमियम गवेषण अनुज्ञप्तिधारक के प्रतिशत हिस्से से कम हो जाएगा और राज्य सरकार गवेषण अनुज्ञप्तिधारक को किसी भी रकम का भुगतान नहीं कर सकेगी।

(8) नियमानुसार पूर्वेक्षण कार्यों के पूरा होने और राज्य सरकार किसी अन्य कम्पनी को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात, गवेषण अनुज्ञप्तिधारक राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्रतिशत शेयर प्राप्त करने का अपना अधिकार हस्तांतरित कर सकती है और राज्य सरकार ऐसे आवेदन की प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर पिछली मंजूरी को स्वीकार या अस्वीकार करेगी।

(9) यदि कोई गवेषण अनुज्ञप्तिधारक अपने द्वारा किए गए पूर्वेक्षण कार्यों के अनुसार नीलाम किए गए खनन पट्टे का पट्टेदार बन जाता है, तो ऐसा पट्टाधारक गवेषण अनुज्ञप्तिधारक को देय प्रतिशत हिस्सेदारी की कटौती के पश्चात राज्य सरकार को नीलामी प्रीमियम जमा करेगा।

(10) राज्य सरकार गवेषण अनुज्ञप्तिधारक को नियम 11 के अधीन पट्टेदार द्वारा देय अग्रिम भुगतान की प्रत्येक किस्त में एक हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा निम्नलिखित तरीके से भुगतान करेगी, अर्थात्:—

(i) प्रत्येक किस्त में हिस्सा अग्रिम भुगतान की किस्त की रकम से गुणा किया गया गवेषण अनुज्ञप्ति की नीलामी में गवेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा उद्धृत प्रतिशत के बराबर होगी;

(ii) गवेषण अनुज्ञप्तिधारक को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक किस्त में हिस्से का भुगतान पट्टेदार द्वारा किस्त जमा करने के तीस दिनों के भीतर किया जाएगा; और

(iii) इस नियम के अधीन गवेषण अनुज्ञप्ति धारक को देय नीलामी प्रीमियम में हिस्सेदारी के बदले इस उप-नियम के अधीन गवेषण अनुज्ञप्तिधारक को भुगतान जल्द से जल्द पूर्ण रूपेण समायोजित किया जाएगा।

19ञ. गवेषण अनुज्ञप्ति के अनुसार खनन पट्टे के लिए नीलामी. —

(1) इन नियमों के अध्याय II में विनिर्दिष्ट खनन पट्टे की नीलामी के तरीके और नियम और शर्तें, इस नियम में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन गवेषण अनुज्ञप्ति के अधीन किए गए पूर्वेक्षण कार्यों के अनुसार चिन्हित ब्लॉक के खनन पट्टे की नीलामी के लिए लागू होंगी।

(2) राज्य सरकार उस क्षेत्र जहां खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 के नियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट खनिज अंतर्वस्तु सिद्ध की गई, के संबंध में गवेषण अनुज्ञप्तिधारक से भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर धारा 11 के साथ पठित धारा 10ख के अधीन खनन पट्टा देने के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगी और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे खनन पट्टों के अनुदान के लिए अधिमानित बोलीदाता का चयन करेगी:

परंतु अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में, खनन पट्टा देने के लिए नीलामी प्रक्रिया धारा 11घ और नियम 9ख के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) यदि उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिमानित बोलीदाता का चयन नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार खनन पट्टे के लिए अधिमानित बोलीदाता का चयन होने तक या बोलीदाताओं की अपर्याप्त संख्या के कारण नीलामी के दूसरे प्रयास के रद्द होने तक गवेषण अनुज्ञप्तिधारक को टोही या पूर्वेक्षण कार्यों के लिए किए गए व्यय के एक प्रतिशत के बराबर रकम या दस लाख रुपये प्रतिमाह, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगी, गवेषण अनुज्ञप्तिधारक को किया गया ऐसा भुगतान खनन पट्टाधारक द्वारा जमा किया जाने वाला नीलामी प्रीमियम में से उसे देय रकम के साथ समायोजित किया जाएगा :

स्पष्टीकरण.— इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ देय रकम का निर्धारण चार्टर्ड एकाउंटैंट द्वारा विधिवत प्रमाणित टोही या पूर्वेक्षण कार्यों के लिए किए गए व्यय के गवेषण अनुज्ञप्तिधारक द्वारा प्रस्तुत खाते के आधार पर किया जाएगा।

(4) खनन पट्टे को समाप्त करने, बीते जाने अथवा अभ्यर्पण या गवेषण अनुज्ञप्ति के अनुसार दिए गए खनन पट्टे के आशय पत्र को समाप्त करने, या बीत जाने के मामले में, राज्य सरकार खनन पट्टे की नीलामी में पाये गये समान नीलामी प्रीमियम पर गवेषण अनुज्ञप्तिधारक को ऐसे क्षेत्र में खनन पट्टा प्राप्त करने का अवसर देगी।

(5) उप-नियम (5) के अधीन खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए गवेषण अनुज्ञप्तिधारक की अस्वीकृति के मामले में, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, जैसा भी मामला हो, नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगी और उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्र के लिए अधिमानित बोलीदाता का चयन करेगी और यदि उक्त अवधि के भीतर अधिमानित बोलीदाता का चयन नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, जैसा भी मामला हो, उप-नियम (3) के अनुसार गवेषण अनुज्ञप्तिधारक को भुगतान करेगी।

(6) गवेषण अनुज्ञप्तिधारक को नियम 6 के अधीन पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन उसके द्वारा किए गए पूर्वेक्षण कार्यों के अनुसार नीलाम किए गए खनन पट्टे की नीलामी में भाग लेने से मना नहीं किया जाएगा।

(7) खनन पट्टे की नीलामी के लिए निविदा दस्तावेज में, नियम 9 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट विवरण के अतिरिक्त, निम्नलिखित शामिल होंगे: - अर्थात्;

(क) पूर्वेक्षण प्रचालन के दौरान ऐसी एजेंसी द्वारा सृजित कच्चा डेटा और बोर-होल कोर और ब्लॉक के संबंध में ऐसी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत आवधिक रिपोर्ट नीलामी में बोलीदाताओं को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी;

(ख) गवेषण अनुज्ञप्तिधारक की स्वामित्व संरचना या शेयर धारिता विवरण।

(8) खनन पट्टे के लिए नीलामी में भाग लेने वाला बोलीदाता, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार जैसा भी मामला हो, को घोषणा करेगा कि क्या वह उस गवेषण अनुज्ञप्तिधारक का संबंधित पक्ष है जिसके पूर्वेक्षण कार्यों के अनुसार खनन पट्टे की नीलामी की जा रही है।

(9) राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, जैसा भी मामला हो, नीलामी में अन्य बोलीदाताओं को गवेषण अनुज्ञप्तिधारक या उसकी संबंधित पार्टी की नीलामी में भागीदारी के बारे में सूचित करेगी।

(10) यदि गवेषण अनुज्ञप्तिधारक या उसकी संबंधित पार्टी अपने पूर्वेक्षण कार्यों के अनुसार नीलाम किए जा रहे खनन पट्टे की नीलामी में बोलीदाता के रूप में भाग लेती है, तो, ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के दूसरे दौर में, अनुज्ञप्तिधारक या उसकी संबंधित पार्टी का नाम और उसका अंतिम नाम मूल्य प्रस्ताव (बोली लगाने के दौरान संशोधित अंतिम मूल्य प्रस्ताव सहित) सभी योग्य बोलीदाताओं को दिखाई देगा।

10. उक्त नियमों में, नियम 23 के पश्चात , निम्नलिखित नियम अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:—

"24. धारा 4 की उपधारा (1) के परंतुक के अंतर्गत शामिल की गयी एजेंसी द्वारा खनन पट्टे या समेकित अनुज्ञप्ति के लिए नीलामी में भागीदारी.— (1) इन नियमों के क्रमशः अध्याय 2 एवं अध्याय 3 में विनिर्दिष्ट खनन पट्टा या समेकित अनुज्ञप्ति की नीलामी के तरीके व नियम और शर्तें इस नियम में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, धारा 4 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन कवर एजेंसी द्वारा किए गए पूर्वेक्षण कार्यों के अनुसार पहचाने गए ब्लॉक की नीलामी के लिए लागू होंगे।

(2) धारा 4 की उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन शामिल एजेंसी जिसने अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग घ या अधिनियम की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज गवेशन किया है, उसे नियम 6 के अधीन पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन ऐसे खनिज के लिए ऐसी एजेंसी द्वारा किए गए पूर्वेक्षण कार्यों के अनुसार नीलाम किए गए खनन पट्टे या समेकित अनुज्ञप्ति के लिए नीलामी में भाग लेने से मना नहीं किया जाएगा।

(3) खनन पट्टे या समेकित अनुज्ञप्ति की नीलामी के लिए निविदा दस्तावेज में, नियम 9 के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट विवरण के अतिरिक्त, निम्नलिखित शामिल होंगे अर्थात्: —

(क) पूर्वेक्षण प्रचालन के दौरान ऐसी एजेंसी द्वारा सृजित कच्चा डेटा और बोर-होल और ब्लॉक के संबंध में ऐसी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत आवधिक रिपोर्ट नीलामी में बोलीदाताओं को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी;

(ख) ऐसी एजेंसी की स्वामित्व संरचना या शेयर धारिता विवरण।

(4) खनन पट्टे या समेकित अनुज्ञप्ति के लिए नीलामी में भाग लेने वाला बोलीदाता, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार जैसा भी मामला हो, को घोषणा करेगा कि क्या उसने उस ब्लॉक का पता लगाया है जिसके पूर्वेक्षण प्रचालन के अनुसार खनन पट्टा अयस्क समेकित अनुज्ञप्ति नीलाम किया जा रहा है या वह ऐसी किसी एजेंसी का संबंधित पक्ष है।

(5) राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार, जैसा भी मामला हो, नीलामी में अन्य बोलीदाताओं को ऐसी एजेंसी या उसके संबंधित पक्ष की नीलामी में भागीदारी के बारे में सूचित करेगी।

(6) यदि ऐसी एजेंसी या उसके संबंधित पक्ष अपने पूर्वेक्षण कार्यों के अनुसार नीलाम किए जा रहे खनन पट्टे की नीलामी में बोलीदाता के रूप में भाग लेता है, तो, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के दूसरे दौर में, ऐसी एजेंसी या उसके संबंधित पक्ष का नाम और उसका अंतिम मूल्य प्रस्ताव (बोली लगाने के दौरान संशोधित अंतिम मूल्य प्रस्ताव सहित) सभी योग्य बोलीदाताओं को दिखाई देगा।

11. उक्त नियमों में, अनुसूची I में, पैरा 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"3. गवेषण अनुज्ञप्ति की नीलामी में आवेदक की कुल संपत्ति पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक या उसके बराब रहोगी।

12. उक्त नियमों में, अनुसूची IV में, "समेकित अनुज्ञप्ति के लिए कार्य निष्पादन प्रतिभूति का प्रारूप [नियम 19(4) देखें]", शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:—

समेकित अनुज्ञप्ति और गवेषण अनुज्ञप्ति के लिए कार्य निष्पादन प्रतिभूति हेतु प्ररूप

[नियम 19(4) और नियम 19ज (2) देखें]"।

13. उक्त नियमों में, अनुसूची IV के पश्चात, निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"अनुसूची V

[नियम 19क (2) देखें]

गवेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए किसी क्षेत्र की नीलामी हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्ररूप

सेवा में,

निदेशक,

खनन और भूविज्ञान विभाग,

—— सरकार [राज्य सरकार का नाम]

महोदया/ महोदय,

खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 19क के उप-नियम (2) के परंतुक के अधीन, मैं/हम क्षेत्र के संबंध में गवेषण अनुज्ञप्ति की नीलामी के लिए राज्य सरकार के विचारार्थ निम्नलिखित विवरण और अन्य विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं। निवेदन है कि मैं/हम उक्त क्षेत्र के संबंध में गवेषण अनुज्ञप्ति की नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हूँ/हैं।

1. आवेदक का नाम व पता

(क)	नाम :	
(ख)	डाक पता :	
(ग)	दूरभाष सं. (कार्यालय)	
(घ)	फैक्स नं. (कार्यालय):	
(ङ)	मोबाइल सं.:	
(च)	दूरभाष सं. (आवास):	
(छ)	ई-मेल पता :	

IndiaCode

2. नीलामी हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के स्थान का विवरण

(क)	राज्य	
(ख)	जिला	
(ग)	समीपवर्ती गाँव	
(घ)	भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) टोपोशीट (संख्या)	
(ङ)	क्षेत्रफल वर्ग किमी में	
(च)	प्रस्तावित ब्लॉक की निकटतम सीमा निर्देशांक (दशमलव डिग्री में)	

3. क्षेत्र की खनिज संभावना

(क)	क्षेत्र / ब्लॉक में चिन्हित / प्रत्याशित खनिज का नाम	
(ख)	जिसके आधार पर क्षेत्र में खनिज संभावना चिन्हित की गई है	
(ग)	उपर्युक्त मद (ख) के समर्थन में विश्वसनीय दस्तावेजों और संदर्भों की सूची।	

4. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

(i) भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) टोपो शीट संख्या पर सीमांकित प्रस्तावित ब्लॉक का स्थान।

(ii) उपर्युक्त मद 3(ग) में उल्लिखित दस्तावेज़।

स्थान :

तारीख :

आवेदक का हस्ताक्षर

[फा सं. एम.VI-1/3/2023-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 406(अ) तारीख 20 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 648(अ), तारीख 01 सितंबर, 2023 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi the 21st January, 2024

G.S.R. 49(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1),—

(a) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

'(aa) "auction premium" means the amount payable by the lessee under sub-rule (2) of rule 13;';

(b) in clause (d), for the words, brackets, letters and figures "sub-clause (iii) of clause (b) of sub-rule (4) of rule 9", the words, brackets, figures and letter "clause (iii) of sub-rule (9) of rule 9 or clause (iii) of sub-rule (10) of rule 19E" shall be substituted;

(c) in clause (e), for the words, brackets and figures "sub-clause (iv) of clause (a) of sub-rule (4) of rule 9", the words, brackets, figures and letter "sub-rule (8) of rule 9 or sub-rule (9) of rule 19E" shall be substituted;

(d) in clause (i), after the words and figure "of rule 18", the words, brackets, figures and letter "sub-rule (3) of rule 19G" shall be inserted;

(e) in clause (j), for the words, brackets and figures "sub-clause (ii) of clause (a) of sub-rule (4) of rule 9", the words, brackets, figures and letter "sub-rule (6) of rule 9 or sub-rule (7) of rule 19E" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 4, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) Exploration licence under section 10BA in an area in respect of any mineral specified in the Seventh Schedule of the Act shall be granted in the manner specified under Chapter III A.".

4. In the said rules, in rule 6, after sub-rule (5), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

'(6) A bidder shall submit only one bid in an auction of a mineral block and no affiliate of a bidder shall submit a bid in the same auction where such bidder has submitted bid.

(7) In case a bidder submits more than one bid in an auction of a mineral block or an affiliate of a bidder submits bid in same auction where such bidder has submitted bid, the bids submitted by the bidder and its affiliate shall be rejected.

***Explanation*.—** For the purposes of this rule,—

(i) "Affiliate" with respect to a bidder shall mean a person who, (a) controls such bidder, (b) is controlled by such bidder, (c) is under common control with such bidder, (d) is an associate company of the bidder, or (e) is a subsidiary company of such bidder;

(ii) the expressions "associate company", "control" and "subsidiary company" shall have the same meanings as assigned to them in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).'.

5. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (12), in the second proviso, after the word "three", the words ", and even in case of a single technically qualified bidder" shall be inserted.

6. In the said rules, in rule 11, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for the preferred bidder selected pursuant the notice inviting tender issued after the date of commencement of the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2024, the amount of upfront payment shall not exceed five hundred crore rupees."

7. In the said rules, in rule 12, in sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for the preferred bidder selected pursuant the notice inviting tender issued after the date of commencement of the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2024, the amount of performance security shall not exceed five hundred crore rupees."

8. In the said rules, in rule 19,—

(i) in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that for the preferred bidder selected pursuant the notice inviting tender issued after the date of commencement of the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2024, the amount of performance security shall not exceed two hundred and fifty crore rupees."

(ii) in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that for the holder of composite licence selected pursuant the notice inviting tender issued after the date of commencement of the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2024, the amount of performance security specified in sub-rules (2) and (3) shall not exceed five hundred crore rupees."

9. In the said rules, after rule 19, the following shall be inserted, namely:—

"CHAPTER III A

GRANT OF EXPLORATION LICENSE

19A. Prerequisites for auction of exploration licence.— (1) The State Government may initiate auction process for grant of exploration licence with respect to an area within the State, in respect of the minerals specified in Seventh Schedule of the Act, in accordance with the provisions of the Act and this Chapter.

(2) Any person intending to obtain exploration licence in respect of an area may submit a proposal to the State Government in the format specified in Schedule V along with available geoscience data for notification of the area for auction to grant an exploration licence.

(3) In order to identify a block for auction for grant of exploration licence, including in any area proposed by any person under the sub-rule (2), the State Government shall constitute a committee consisting of the following members, namely:—

(a) Principal Secretary or Secretary in the Mining and Geology Department of State Government (by whatever name called) – Chairman;

IndiaCode

(b) Deputy Director General, State Unit of Geological Survey of India – Member;

(c) Regional Controller of Mines of Indian Bureau of Mines – Member;

(d) Regional Director of Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research – Member;

(e) Director in the Mining and Geology Department of State Government (by whatever name called) – Member Secretary.

(4) The committee shall identify and recommend to the State Government the blocks for auction for grant of exploration licence out of—

(i) the area identified by the Geological Survey of India or the Directorates of Mining and Geology of State Government (by whatever name called) or any other agency of the Central Government or State Government;

(ii) the area proposed by any person under sub-rule (2); or

(iii) any other area,

on the basis of geological information available in the National Geoscience Data Repository (NGDR) or in similar platforms or on the basis of the available geological reports or the like.

(5) The committee shall reject or recommend the proposal received under sub-rule (2) within a period of sixty days of its receipt in the State Government with such modification as it deem fit.

(6) The committee while identifying and recommending the block shall exclude from the block the areas covered under the following, namely:—

(i) a subsisting mineral concession;

(ii) a notice inviting tender for auction of a mineral concession that has been issued and is under process;

(iii) a subsisting letter of intent issued for grant of a mineral concession pursuant to an auction process, or letter of intimation issued by the Department of Atomic Energy regarding the prospective lessee under rule 6 of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016;

(iv) a mining lease or composite licence granted that has expired, lapsed, surrendered or terminated or notice inviting tender for auction of a mineral concession that has been terminated;

(v) exploration operations by an entity specified or notified under second proviso to section 4; or

(vi) notification for undertaking an operation issued under section 17 or notification for reservation issued under section 17A:

Provided that if the committee is of opinion that it is expedient in the interest of conservation of mineral resources or for the scientific and sustainable development and exploitation of minerals specified in the Seventh Schedule of the Act, it may include the area covered under clause (iv) in the block recommended for grant of exploration licence.

(7) The State Government may reject or accept the recommendation of the committee with such modification as it deem fit and send the details of identified block for previous approval of the Central Government for auction under sub-section (4) of section 10BA, within sixty days of its receipt.

(8) The Central Government shall grant or reject the previous approval within sixty days of its receipt and thereafter the State Government shall notify the identified block for conducting auction for grant of exploration licence within sixty days of receipt of the previous approval.

(9) The State Government shall, prior to issuance of the notice inviting tender with respect to auction, identify and demarcate the area where an exploration licence is proposed to be granted through auction, specifying its boundary latitude and longitude coordinates.

19B. Eligibility for exploration licence.— (1) For the purpose of participating in the auction of exploration licence, an applicant shall meet the requirements as specified in section 5 and the terms and conditions of eligibility as specified in Schedule I.

(2) The eligibility for participating in the auction shall be determined as per the terms and conditions of eligibility for participating in the auction and the Successful Bidder shall be decided solely on the basis of financial bids submitted by the eligible bidders.

(3) A bidder shall submit only one bid in an auction of a mineral block and no affiliate of a bidder shall submit a bid in the same auction where such bidder has submitted bid.

(4) In case a bidder submits more than one bid in an auction of a mineral block or an affiliate of a bidder submits bid in same auction where such bidder has submitted bid, the bids submitted by the bidder and its affiliate shall be rejected.

***Explanation*.—** For the purposes of this rule,—

(i) "Affiliate" with respect to a bidder shall mean a person who, (a) controls such bidder, (b) is controlled by such bidder, (c) is under common control with such bidder, (d) is an associate company of the bidder, or (e) is a subsidiary company of such bidder;

(ii) the expressions "associate company", "control" and "subsidiary company" shall have the same meanings as assigned to them in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

19C. Electronic auction for exploration licence.— (1) An auction shall be conducted only through an online electronic auction platform.

(2) The State Government may utilise any online electronic auction platform which meets the minimum technical and security requirements as specified in the Guidelines for compliance to Quality requirements of e-Procurement Systems issued by the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate, Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.

19D. Bidding parameters for exploration licence.— (1) The State Government shall specify in the tender document the maximum percentage share (known as "ceiling price") of the auction premium that shall be payable by the future lessee of mining lease which shall be auctioned pursuant to the prospecting operations undertaken under the exploration licence being auctioned:

Provided that the ceiling price shall not be less than twenty-five per cent.

(2) The bidders shall quote, for the purpose of receiving payment from the State Government, a percentage share of the auction premium payable by such future lessee equal to or below the ceiling price and the bidder quoting the minimum percentage in accordance with the bidding process specified in rule 19E shall be the preferred bidder.

19E. Bidding process for exploration licence.— (1) Subject to the provisions of rule 19A, the State Government shall issue a notice inviting tender, including on their website, to commence the auction process and such notice shall contain brief particulars regarding the area under auction, including,—

(a) particulars of the area identified and demarcated, specifying its boundary latitude and longitude coordinates; and

(b) available geoscience data.

(2) The tender document issued by the State Government shall contain,—

(a) particulars of the area identified and demarcated, specifying its boundary latitude and longitude coordinates; and

(b) information on available geosciences data.

(3) The bidders shall be provided a fixed period, as notified by the State Government, to study the tender document and such reports and the bidding process shall commence only on expiry of such period.

(4) The auction shall be a descending reverse online electronic auction and shall comprise of attempts of auction with each attempt of auction consisting of a first round of auction and a second round of auction.

(5) In the first round of auction, the bidders shall submit,–

(A) a technical bid comprising amongst others, documentary evidence to confirm eligibility as per the provisions of the Act and the rules made thereunder to participate in the auction, bid security and such other documents and payments as may be specified in the tender document; and

(B) an initial price offer which shall be a percentage share of the auction premium that shall be payable by the future lessee whose mining lease shall be auctioned pursuant to the prospecting operations undertaken under the exploration licence being auctioned.

(6) The bid security shall be submitted in the form of a bank guarantee or through security deposit and shall be for an amount equivalent to,—

(a) fifty lakh rupees for area less than or equal to five hundred square kilometers; and

(b) one crore rupee for area more than five hundred square kilometers but less than or equal to one thousand square kilometers.

(7) Only those bidders who are found to be eligible in accordance with the terms and conditions of eligibility specified in rule 19B and whose initial price offer is equal to or less than the ceiling price, referred to as "technically qualified bidders", shall be considered for the second round of auction.

(8) The lowest initial price offer amongst the technically qualified bidders shall be the limiting price for the second round of online electronic auction.

(9) The technically qualified bidders shall be ranked on the basis of the ascending initial price offer submitted by them and the technically qualified bidders holding the first fifty per cent. of the ranks (with any fraction rounded off to higher integer) or the top five technically qualified bidders, whichever is higher, shall qualify as qualified bidders for participating in the second round of electronic auction:

Provided that if the number of technically qualified bidders is between three and five, then all the technically qualified bidders shall be considered as qualified bidders:

Provided further that in the event of identical initial price offers being submitted by two or more technically qualified bidders, all such technically qualified bidders shall be assigned the same rank for the purposes of determination of qualified bidders and in such case, the aforementioned fifty per cent. shall stand enhanced to the extent of tie occurring within the first fifty per cent.

Illustrations

1. In the event there are a total of ten technically qualified bidders, and each technically qualified bidder submits different initial price offer, then the technically qualified bidders holding the first fifty per cent. of ranks shall be considered to be qualified bidders.

2. If three such technically qualified bidders submit the same initial price offer and are ranked in first fifty per cent. of the total number of ranks, then, all the three technically qualified bidders shall be considered to be qualified bidders and the total number of qualified bidders shall stand increased by two.

(10) Where the total number of technically qualified bidders is three or more, the auction process shall proceed to the second round of auction which shall be held in the following manner, namely:—

(iv) the qualified bidders may submit their final price offer which shall be a percentage share of the auction premium that shall be payable by the future lessee whose mining lease shall be auctioned pursuant to the prospecting operations undertaken under the exploration licence being auctioned and lower than the limiting price for the second round:

Provided that the final price offer may be revised by the qualified bidders till the conclusion of the auction as per the technical specifications of the auction platform;

(v) The auction process shall be annulled if none of the qualified bidders submits a final price offer on the online electronic auction platform;

(vi) The qualified bidder who submits the lowest final price offer shall be declared as the "preferred bidder" immediately on conclusion of the auction.

(11) Where the total number of technically qualified bidders is less than three, then no technically qualified bidder shall be considered to be qualified bidder and the first attempt of auction shall be annulled.

(12) On annulment of the first attempt of auction, the State Government may decide to–

(a) commence the auction process *de novo* with a separate set of terms and conditions and ceiling price as it may deem fit and necessary; or

(b) conduct the second attempt of auction.

(13) In case the State Government decides to conduct the second attempt of auction as specified under sub-rule (12), the terms and conditions of the second attempt of auction shall remain the same as in the first annulled attempt of auction:

Provided that the lowest initial price offer of the technically qualified bidders if any in the first annulled attempt shall be the ceiling price in first round of the second attempt:

Provided further that the bidding shall continue to the second round even in case the number of technically qualified bidders is less than three, and even in case of a single technically qualified bidder.

19F. Conduct of auction of exploration licence by Central Government.— (1) The State Government shall intimate to the Central Government regarding the following, namely:—

(a) identification and recommendation of any area for auction of exploration licence by the committee under rule 19A within a period of fifteen days of receiving it;

(b) decision of the State Government on the recommendation of the committee under rule 19A within a period of fifteen days of such decision;

(c) publication of notice under sub-section (4) of section 10BA along with its copy, within fifteen days of publication of such notice;

(d) issue of notice inviting tender for auction for mining lease under rule 19E along with its copy, within fifteen days of issue of such notice;

(e) outcome of any auction for exploration licence, within fifteen days of completion of auction; and

(f) termination, lapse or surrender of exploration licence or terminating or lapse of letter of intent for exploration licence, within fifteen days from such termination, lapse or surrender.

(2) In case the Central Government decides to notify an area for auction or conduct auction for exploration licence under sub-section (5) or sub-section (7) of section 10BA, as the case may be, the provisions of these rules regarding auction in respect of exploration licence, as applicable to a State Government, shall *mutatis mutandis* be also applicable to the Central Government.

(3) Upon successful completion of the auction, the Central Government shall intimate the details of the preferred bidder in the auction to the State Government and the State Government shall grant exploration licence for such area to such preferred bidder in accordance with rule 19G.

19G. Grant of exploration licence.— (1) The preferred bidder shall submit a performance security in the manner specified in sub-rule (1) of rule 19H within fifteen days after being declared as preferred bidder, and upon receipt of such performance security, the State Government shall issue a letter of intent to the preferred bidder within fifteen days of receipt of performance security:

Provided that the State Government may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period of fifteen days for submission of performance security by further fifteen days.

(2) In case the preferred bidder fails to submit the performance security within the period or extended period specified in sub-rule (1), the State Government shall,—

(a) forfeit the bid security of the preferred bidder; and

(b) offer the bidder who had submitted second-lowest price offer in the second round of auction to meet the lowest final price offer and if the said bidder agree to the said offer in writing and submit the performance security within fifteen days of receipt of offer, the State Government shall declare the said bidder as the preferred bidder and issue letter of intent to him:

Provided that the State Government may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period of fifteen days by further fifteen days.

(3) On receipt of the letter of intent the preferred bidder shall be considered to be the successful bidder upon fulfilment of the following conditions, namely:—

(a) compliance with all the terms and conditions of eligibility;

(b) obtaining all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under applicable laws for commencement of reconnaissance or prospecting operations or both; and

(c) submitting the scheme of reconnaissance or prospecting or both in accordance with the Mineral Conservation and Development Rules, 2017.

(4) Upon fulfilment of the conditions specified in sub-rule (3), the State Government shall grant an exploration licence to the successful bidder and such exploration licence shall be subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder.

Provided that on expiry of a period of one year from the date of the letter of intent, no exploration licence deed shall be executed and the letter of intent shall be invalidated leading to annulment of the entire process of auction:

Provided further that the State Government may allow a further period of six months for execution of the exploration licence deed, if the reasons for delay were beyond the control of the preferred bidder.

(5) The exploration licencee shall conduct geological exploration (reconnaissance or prospecting operations or both) of the area under the exploration licence so as to ascertain evidence of mineral contents and shall submit periodic reports in accordance with the Act and rules made thereunder, and all reports, studies and other documentation related to the geological exploration of the area under the exploration licence shall be submitted to the State Government with its copy to the Indian Bureau of Mines.

(6) Period of exploration licence shall be in accordance with sub-section (10) of section 10BA.

(7) The exploration licencee may, at any time, surrender a part or the entire area to the State Government, subject to the conditions specified in rule 9B of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016:

Provided that after three years from the date of execution of the exploration licence, the exploration licencee may retain an area not exceeding twenty-five per cent. of the total area covered under that licence for the purpose of continuing reconnaissance or prospecting operations and shall surrender the remaining area after submitting a report to the State Government stating the reasons for retention of the area proposed to be retained by him and the boundaries of that area.

(8) If an exploration licencee,—

(a) fails to complete reconnaissance and prospecting operations within the period permitted under sub-section (10) of section 10BA; or fails to establish the existence of mineral contents as specified in rule 5 of the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 for grant of mining lease and submit the geological report within the period specified under sub-section (12) of section 10BA, such licencee shall not be eligible to receive any share out of the auction premium of the mining lease granted in the area covered by his exploration licence and the State Government may take any action as it deems fit, including imposition of penalty in form of appropriation of performance security;

(b) completes reconnaissance and prospecting operations within the period permitted under sub-section (10) of section 10BA and submits to the State Government and the Indian Bureau of Mines the result of the prospecting operations in the form of a geological report prepared in accordance with rule 5 of the Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015; identifying the area suitable for grant of a mining lease within the period specified under sub-section (12) of section 10BA, then such licencee shall be entitled to receive the percentage share in auction premium of the mining lease in accordance with these rules.

(9) Exploration licencee shall prepare separate geological report for each block identified for grant mining lease under sub-rule (8).

19H. Performance Security for exploration licence.— (1) The amount of performance security shall be as follows, namely:—

(a) one crore rupees for area less than or equal to five hundred square kilometers; and

(b) two crore rupee for area more than five hundred square kilometers but less than or equal to one thousand square kilometers.

(2) The performance security shall be provided through bank guarantee in the format as specified in Schedule IV or through security deposit, which may be appropriated in the following events, namely:—

(a) non-adherence to scheme of reconnaissance or prospecting, as the case may be;

(b) disclosure of exploration data to an unauthorized entity;

(c) non-disclosure of entire exploration data, reports or any other information related to exploration to State Government or any other Government organisation authorised to receive such information under the law;

(d) serious discrepancy in exploration data, reports or any other information related to exploration to State Government or any other Government organisation authorised to receive such information under the law; or

(e) contravention of the provision of these rules and the exploration licence deed.

(3) The percentage of performance security to be appropriated in the events specified in sub-rule (2) shall be specified in the tender document or decided by the State Government as it deem fit.

(4) In case of appropriation of performance security, the exploration licencee shall replenish or top-up the performance security within thirty days of such appropriation to keep the amount of performance security maintained at the amount specified under sub-rule (1).

(5) The State Government on being satisfied that the holder of exploration licence has completed prospecting operations but is unable to establish the existence of mineral contents even after making all possible efforts in accordance with the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, shall return performance security.

19I. Payment to the holder of exploration licence.— (1) The State Government shall pay by electronic transfer to the exploration licencee the percentage share quoted by him in the auction of exploration licence out of the auction premium deposited in a month by the future lessee who has obtained mining lease in auction pursuant to the prospecting operations undertaken by the exploration licencee, within thirty days of deposit of auction premium.

(2) The share of the exploration licencee shall be payable for entire period of fifty years of the mining lease or till exhaustion of resources, whichever is earlier.

(3) In case of termination, lapse or surrender of mining lease, share of the exploration licencee shall be payable out of the auction premium deposited by the subsequent lessee of the area for the remaining period out of fifty years from the date of commencement of the first lease for the area or till exhaustion of resources, whichever is earlier.

(4) The percentage share quoted by the exploration licencee shall be applicable for each mineral specified in the Seventh Schedule to the Act whose existence of mineral content has been established by him in accordance with the exploration norms required for grant of mining lease under Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015.

(5) The share of the exploration licencee shall be payable out of auction premium of all the mining leases of the minerals specified in the Seventh Schedule to the Act, auctioned pursuant to the prospecting operations undertaken by the exploration licencee.

(6) Exploration licencee shall not be entitled to receive share in respect of mineral not specified in the Seventh Schedule of the Act or whose existence of mineral content has not been established by him in accordance with the exploration norms required for grant of mining lease under Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015.

(7) Notwithstanding anything contained in this rule, the exploration licencee and lessee may enter into agreement regarding payment of the share to exploration licencee, such as lump-sum payment in lieu of percentage share in auction premium; and upon such agreement,—

(a) the exploration licencee and lessee shall submit a copy of such agreement to State Government; and

(b) subsequent to coming into effect of the agreement, the auction premium payable by lessee to the State Government shall reduce by the percentage share of exploration licencee and the State Government shall not be liable pay any amount to exploration licencee.

(8) After completion of prospecting operations and submission of geological report to the State Government in accordance with the rules, the exploration licencee may transfer his right to receive percentage share to any other entity, with the previous approval of the State Government and the State Government shall accept or reject previous approval within ninety days of receipt of such application.

(9) In case an exploration licencee becomes lessee of a mining lease auctioned pursuant to the prospecting operations undertaken by him, then such lessee shall deposit auction premium to the State Government after deducting the percentage share that would have been payable to the exploration licencee.

(10) The State Government shall pay by electronic transfer to the exploration licencee a share in each installment of the upfront payment payable by the lessee under rule 11 in the following manner, namely:—

(i) the share in each installment shall be equal to the percentage quoted by exploration licencee in the auction of exploration licence multiplied by the amount of installment of the upfront payment;

(ii) the share in each installment shall be paid to exploration licencee by the State Government within thirty days of deposit of the installment by the lessee; and

(iii) the payments to exploration licencee under this sub-rule shall be adjusted in full at the earliest against the share in auction premium payable to the exploration licencee under this rule.

19J. Auction for mining lease pursuant to exploration licence.—

(1) The manner and terms and conditions for auction of a mining lease specified in Chapter II of these rules shall be applicable for auction of mining lease of a block identified pursuant to the prospecting operations undertaken under an exploration licence, subject to the conditions specified in this rule.

(2) The State Government shall initiate the auction process for grant of mining lease under section 10B read with section 11 within six months from the date of receipt of the geological report from the exploration licencee in respect of the area where existence of mineral content is established as specified in rule 5 of the Mineral (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 and shall select the preferred bidder for grant of such mining leases within one year from the date of receipt of the geological report:

Provided that in respect of any mineral specified in the Part D of the First Schedule to the Act, the auction process for grant of mining lease shall be conducted by the Central Government under section 11D and rule 9B.

(3) In case the preferred bidder is not selected within the period so specified in sub-rule (2), the State Government shall pay to the exploration licencee an amount equivalent to one per cent. of the expenditure incurred towards reconnaissance or prospecting operations or ten lakh rupees per month, whichever is higher, till selection of the preferred bidder for the mining lease or till annulment of second attempt of auction due to insufficient number of bidders and such payment made to exploration licencee will be adjusted with the amount payable to him out of auction premium to be deposited by the holder of mining lease.

***Explanation*.—** For purposes of this sub-rule, the amount payable shall be determined on the basis of account submitted by the exploration licencee of the expenditure incurred towards reconnaissance or prospecting operations duly certified by a chartered accountant.

(4) In case of termination, lapse or surrender of mining lease or termination or lapse of letter of intent for mining lease granted pursuant to exploration licence, the State Government shall give an opportunity to the exploration licencee to obtain mining lease in such area at the same auction premium discovered in the auction of the mining lease.

(5) In case of refusal of the exploration licencee to obtain mining lease under sub-rule (5), the State Government or the Central Government, as the case may be, shall initiate auction process and select preferred bidder for such area within the period specified in sub-rule (2) and in case the preferred bidder is not selected within the said period, the State Government or the Central Government, as the case may be, shall pay to the exploration licence holder in accordance with sub-rule (3).

(6) The exploration licencee shall not be prohibited from participating in the auction for the mining lease auctioned pursuant to the prospecting operations undertaken by him subject to fulfillment of the eligibility conditions under rule 6.

(7) The tender document for auction of mining lease shall, in addition to the details specified in sub-rule (2) of rule 9, shall contain the following, namely:—

(a) raw data and bore-hole cores generated by such agency during prospecting operations and periodic report submitted by such agency in respect of the block shall be made available for inspection to bidders in the auction;

(b) the ownership structure or shareholding details of the exploration licencee.

(8) A bidder participating in auction for mining lease shall declare to the State Government or the Central Government, as the case may be, if he is related party of the exploration licencee pursuant to whose prospecting operations the mining lease is being auctioned.

(9) The State Government or the Central Government, as the case may be, shall intimate other bidders in auction regarding participation of exploration licencee or his related party in the auction.

(10) In case the exploration licencee or his related party participate as bidder in the auction of mining lease being auctioned pursuant to his prospecting operations, then, in the second round of online electronic auction, name of licencee or his related party and his final price offer (including revised final price offers during bidding) shall remain visible to all the qualified bidders.".

10. In the said rules, after rule 23, the following rule shall be inserted, namely:—

"24. Participation in auction for mining lease or composite licence by an agency covered under proviso to sub-section of (1) of section 4.— (1) The manner and terms and conditions for auction of a mining lease or composite licence specified in Chapter II and Chapter III, respectively of these rules shall be applicable for auction of a block identified pursuant to the prospecting operations undertaken by an agency covered under proviso to sub-section of (1) of section 4, subject to the conditions specified in this rule.

(2) An agency covered under proviso to sub-section of (1) of section 4 who has undertaken exploration of a mineral specified in the Part D of the First Schedule of the Act or the Seventh Schedule of the Act shall not be prohibited from participating in the auction for the mining lease or composite licence auctioned pursuant to the prospecting operations undertaken by such agency for such mineral subject to fulfillment of the eligibility conditions under rule 6.

(3) The tender document for auction of mining lease or composite licence shall, in addition to the details specified in sub-rule (2) of rule 9, shall contain the following, namely:—

(a) raw data and bore-hole cores generated by such agency during prospecting operations and periodic report submitted by such agency in respect of the block shall be made available for inspection to bidders in the auction;

(b) the ownership structure or shareholding details of such agency.

IndiaCode

(4) A bidder participating in auction for mining lease or composite licence shall declare to the State Government or the Central Government, as the case may be, if he has explored the block pursuant to whose prospecting operations the mining lease ore composite licence is being auctioned or is related party of such agency.

(5) The State Government or the Central Government, as the case may be, shall intimate other bidders in auction regarding participation of such agency or his related party in the auction.

(6) In case such agency or his related party participate as bidder in the auction of mining lease being auctioned pursuant to his prospecting operations, then, in the second round of online electronic auction, name of such agency or his related party and his final price offer (including revised final price offers during bidding) shall remain visible to all the qualified bidders.".

11. In the said rules, in Schedule I, after para 2 and before the *Explanation*, the following para shall be inserted, namely:—

"3. In the auction of exploration licence, the applicant shall have a net worth of more than or equal to twenty-five crore rupee.".

12. In the said rules, in Schedule IV, for the words, brackets and figures, "FORMAT FOR PERFORMANCE SECURITY FOR COMPOSITE LICENCE [*see* rule 19(4)]", the following shall be substituted, namely:—

"FORMAT FOR PERFORMANCE SECURITY FOR COMPOSITE LICENCE AND EXPLORATION LICENCE

[*see* rule 19(4) and rule 19H(2)]".

13. In the said rules, after Schedule IV, the following Schedule shall be inserted, namely:—

"SCHEDULE V

[see rule 19A(2)]

FORMAT FOR SUBMITTING PROPOSAL FOR AUCTION OF AN AREA FOR GRANT OF EXPLORATION LICENCE

To,
The Director,
Mining and Geology Department,
Government of ___ [*mention name of State Government*]

Madam/ Sir,

Under the provision of sub-rule (2) of rule 19A of the Mineral (Auction) Rules, 2015, I/we am/are submitting the following details and other particulars of the area for consideration of the State Government to auction exploration licence in respect of the area. It is submitted that I/we intend to participate in auction of exploration licence in respect of the said area.

1. Name and Address of the Applicant

(a)	Name:	
(b)	Postal address:	
(c)	Telephone Number (Office):	
(d)	Fax number (Office):	
(e)	Mobile No.:	
(f)	Telephone Number (Residence):	
(g)	E-Mail address:	

2. Location Details of the Area Proposed for Auction

(a)	**State**	
(b)	District (s)	
(c)	Nearby Village(s)	
(d)	Survey of India (SOI) Toposheet (s) No.	
(e)	Area in sq. km	
(f)	Boundary coordinates of the proposed block (in Decimal degree)	

3. Mineral Potential of the Area

(a)	Name of Mineral(s) identified/ expected in the area/ block	
(b)	Basis on which mineral potential in the area has been identified	
(c)	List of documents and references relied upon in support of item (b) above.	

4. Documents to be enclosed with the application

i) Location of the proposed block demarcated on Survey of India (SOI) Toposheet No.
ii) Documents mentioned in item 3(c) above.

Place:
Date: Signature of Applicant".

[F. No. M.VI-1/3/2023-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

IndiaCode

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 406(E), dated the 20th May, 2015 and lastly amended, *vide* number G.S.R. 648(E), dated the 1st September, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.21 20:30:11 +05'30'